



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharhmail.gov.in

पत्रांकः IIE-19(A) 14/2014 2030 राँची, दिनांकः 3.6.2016

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक
प्रसार वानिकी, हजारीबाग / राँची / दुमका।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास / कैम्पा / शोध एवं प्रशिक्षण।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राँची रीजन, राँची / सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर / हजारीबाग रीजन

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

पलामू / दुमका / बोकारो

मुख्य वन संरक्षक, बन्द प्राणी, राँची

झारखण्ड, राँची / व्याघ्र परियोजना, मेदनीनगर।

विषयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में स्थित सभागार में दिनांक 07.06.2016 को 11:00 बजे पूर्वाहन में बैठक आहूत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में स्थित सभागार में दिनांक 07.06.2016 को 11:00 बजे पूर्वाहन में बैठक आहूत की जाती है।


अनुरोध है कि उक्त बैठक में सम्मय भाग लेने की कृपा करें। बैठक की कार्यावली निम्नवत् है :-

- (1) सभी वन्य प्राणी प्रमंडल के अन्तर्गत पांच वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र का चयन एवं आदर्श वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र विकसित करने हेतु प्राक्कलन सहित प्रस्ताव।
- (2) राज्य में दस बड़े अवकृष्ट वनों (scrub forest) का चयन एवं उसमें वन रोपण का प्रस्ताव।
- (3) प्रत्येक प्रादेशिक प्रमंडलों में पांच-पांच regeneration क्षेत्र का चयन एवं उसे विकसित करने हेतु प्रस्ताव।
- (4) वनरोपण क्षेत्रों का third party inspection करवाने संबंधित प्रस्ताव।
- (5) वन सीमा पर pillar लगवाने का लक्ष्य। इस निमित राशि कैम्पा मद से उपलब्ध हो सकती है।
- (6) प्रत्येक प्रादेशिक प्रमंडलों में दस प्रमुख अतिकमित क्षेत्र को चिन्हित करते हुए उसे निर्धारित समय सीमा में अतिकमण मुक्त करने का प्रस्ताव।
- (7) लाह फार्म के अत्याधिक उपयोगिता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव।

- (8) विरसा मुण्डा जैविक उद्यान, रांची का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मूल्यांकन करवाने एवं अन्य सुधार/व्यवस्था का प्रस्ताव।
- (9) साहेबगंज जीवाशम पार्क को मुख्य सचिव, झारखण्ड के निदेशानुसार डी०पी०आर० तैयार करने एवं अन्य कार्यवाई के संबंध
- (10) कैम्पा से संबंधित बिन्दुओं पर मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के निदेशानुसार कार्रवाई करने के संबंध में।
- (11) अवैध आरा मशीन का बंद करवाने हेतु अवैध आरा मिल का चिन्हन एवं आवश्यक कार्रवाई अभियान के रूप में कार्यान्वित करने से संबंधित प्रतिवेदन।
- (12) सी०डी०ए० की स्थिति।
- (13) मुख्यमंत्री जन वन योजना।
- (14) भू-संरक्षण योजना प्रत्येक प्रमंडल का।
- (15) वन महोत्सव।

उक्त कार्यावली के अतिरिक्त यदि कोई अन्य बिन्दु पर विचार करने की आवश्यता हो तो उस विषय पर सुस्पष्ट प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव संबंधित पदाधिकारी साथ में लायेगें।

विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन सरकार,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: IIE-19(A) 14/2014 २०३० दिनांक : ३.६.२०१६

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन सरकार,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक: IIE-19(A) 14/2014 २०३० दिनांक : ३.६.१६

प्रतिलिपि:- Envis Cell, Ranchi को विभागीय वेबसाईट के Meeting Tab में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन सरकार,
झारखण्ड, रांची।